

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1421/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(143)-2015

लखनऊ: दिनांक:: 14 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची में दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची में, क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“ 9- कोयला जिसके अन्तर्गत कोक अपने सब रूपों में भी है ”

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।